

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक- 2695/727/आउशि/बजट/07
प्रति,

भोपाल, दिनांक- 06.09.08

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषय- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पुस्तकें और स्टेशनरी के निःशुल्क प्रदाय हेतु बजट आवंटन वित्तीय वर्ष 2008-09


संदर्भ- इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 2555/727/आउशि/बजट/08
दिनांक 1.8.2008

उपर्युक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पुस्तकें/स्टेशनरी के निःशुल्क प्रदाय हेतु वर्ष 2008-09 के लिये बजट आवंटन जारी किया गया है । जिनमें मुख्य रूप से पुस्तकों का क्रय करते समय दिये गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु लिखा गया है ।

यह देखा गया है कि कुछ प्राचार्यों द्वारा क्रय संबंधी प्रक्रिया का समय पर पालन न करने के कारण, राशि का निर्धारित योजना के अंतर्गत समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है और विद्यार्थियों को योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है ।

जैसा कि पूर्व में निर्देशित किया गया था कि पुस्तकों का क्रय महाविद्यालय में पढ़ाए जा रहे विषयों जिनको विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों में समावेश किया गया है, का ही क्रय किया जाए ।


यदि इस प्रकार की पुस्तकें हिन्दी ग्रंथ अकादमी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तो क्रय प्रक्रिया में उनको भी प्राथमिकता दी जाए । स्टेशनरी/पुस्तकों के क्रय में पूर्ण रूप से भण्डार क्रय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए । आवंटित राशि का समय पर उपयोग नहीं होता है अथवा उक्त योजना अंतर्गत कोई कंडिका उत्पन्न होती है तो उसके निराकरण की पूर्ण जवाबदेही प्राचार्य की होगी ।


(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पू0क0-2695/727/आउशि/बजट/07
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक-06.09.08

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. संचालक, आदिम जाति, क्षेत्रीय विकास योजनाएं मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।


अतिरिक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश